ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट न01, सैक्टर के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0
Website:www.greaternoidaauthority.in, Email id: authority@gnida.in

पत्रांक :सम्प / 2017 / 43 दिनांक 6-10-17

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 109वी बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2017 की मद संख्या 109 / 12 "प्राधिकरण द्वारा निर्मित एक मंजिले भवनों, बहुमंजिले भवनों एवं ग्रुप हाउसिंग योजना के माध्यम से आवंटित भूखण्डो पर निर्मित एक मंजिले एवं बहु मंजिले भवनों के हस्तांतरण शुल्क के पुर्ननिधारण विषय" में बोर्ड द्वारा दिये गये अनुमोदन, पत्रांक उ0मु0का0अ0 / 109वी बो0बै0 / 2017 / 25 दिनांक 03.10.2017 के क्रम में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय योजनओं एवं विभिन्न ग्रुप हाउसिंग समितियों के माध्यम से आवंटित एक मंजिले / बहुमंजिले भवनों का हस्तांतरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

बहुमंजिले निर्मित भवनों हेतु निर्धारित हस्तांतरण शुल्क

क्रमांक	भवनों का क्षेत्रफल	निर्धारित हस्तांतरण शुल्क
1	50 मीटर तक के भवनों के लिये	रूपये 250 प्रति वर्ग मीटर
2	51 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक	रूपये 500 प्रति वर्ग मीटर
3	101 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवन	रूपये 600 प्रति वर्ग मीटर

एक मंजिले निर्मित भवनों हेतु निर्धारित हस्तांतरण शुल्क

- एक मंजिले निर्मित भवनों पर तत्समय (हस्तांतरण की अनुमति के समय) प्रचलित भूखण्ड दर का 5 प्रतिशत वर्ग मीटर की दर से हस्तांतरण शुल्क लिया जायेगा।
- उपरोक्त निर्धारित शुल्क में निर्धारित दर पर जी0एस0टी0 अतिरिक्त रूप से देय होगा।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगे।

(आर0के0देव)
महाप्रबन्धक , सम्पत्ति

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक (वित / सम्पत्ति / बिल्डर्स / आई.टी अनुभाग) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रबन्धक (सी.आर. सैल) को सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

6/10/17

महाप्रबन्धक , सम्पत्ति

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट न01, सैक्टर के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0
Website:www.greaternoidaauthority.in, Email id: authority@gnida.in

पत्रांक :सम्प/2017/ 44 दिनांक 6-10-17

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांकः–ग्रे.नो/2015/सम्पत्ति/506,दिनांक 21.09.2015 को अवक्रमित करते हुए, प्राधिकरण की 109वी बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2017 की मद संख्या 109/11 "आवासीय /ग्रुप हाउसिंग/ सहकारी आवास समितियों के माध्यम से आवंटित आवासीय भूखण्डों पर लीज डीड/निर्माण हेतु निःशुल्क समयवृद्धि हेतु प्रचलित व्यवस्था को समाप्त किये जाने विषयक" प्रस्ताव में बोर्ड द्वारा दिये गये अनुमोदन, पत्रांक उ0मु0का0अ0/109वी बो0बै0/2017/25 दिनांक 03.10.2017 के क्रम में आवासीय /ग्रुप हाउसिंग/ सहकारी आवास समितियों के माध्यम से आवंटित आवासीय भवनों एवं भूखण्डों पर लीज डीड/निर्माण हेतु निःशुल्क समयवृद्धि हेतु प्रचलित व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगे।

(आर0के0देव)
महाप्रबन्धक , सम्पत्ति

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक (वित/सम्पत्ति/बिल्डर्स/आई.टी अनुभाग) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रबन्धक (सी.आर. सैल) को सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक , सम्पत्ति

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट न01, सैक्टर के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0
Website:www.greaternoidaauthority.in, Email id: authority@gnida.in

पत्रांक :सम्प / 2017 / 45

दिनांक 6-10-17

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 109वी बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2017 की अनुपूरक मद संख्या 109 / 5 में आवासीय भूखण्डों की योजना आर0पी0एस – 01 (सैक्टर – 2) एवं एक्स.टी 01 (सैक्टर 03) के आवटियों को लीज डीड एवं भवन निर्माण हेतु समय विस्तरण प्रदान किए जाने विषयक प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये अनुमोदन, पत्रांक उ0मु0का0अ0 / 109वी बो0बै0 / 2017 / 25 दिनांक 03.10.2017 के कम में आवासीय भूखण्डों की योजना आर0पी0एस – 01 (सैक्टर – 2) एवं एक्स.टी 01 (सैक्टर 03) के आवटियों को लीज डीड एवं भवन निर्माण हेतु समय विस्तरण प्रदान किए जाने हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है:–

1. आर0पी0.एस0–01 (सैक्टर–2) एवं एक्सटी–01(सैक्टर–3) के आवंटियों जिनको जून, 2017 से पूर्व लीज डीड की चैक लिस्ट जारी की गयी है उन्हे लीज डीड निष्पादन हेतु दिनांक 31.12.2017 तक का निःशुल्क समय विस्तरण दिया जायेगा।
2. ऐसे आंवटी जिनके द्वारा लीज डीड करा ली गयी है परन्तु भवन निर्माण नही कराया है और उनके भवन निर्माण हेतु प्राविधानित निःशुल्क समय यदि दिनांक 31.12.2017 से पूर्व समाप्त हो रहा है। ऐसे प्रकरण में आवंटियों को भवन निर्माण हेतु दिनांक 31.12.2017 से एक वर्ष अर्थात दिनांक 31.12.2018 तक का निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया जायेगा।
3. सैक्टर का विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात परियोजना विभाग द्वारा जिन भूखण्डों के लीज प्लान उपलब्ध कराए जायेगें उनके आवंटियों को लीज डीड हेतु प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. आर0पी0.एस0–01 (सैक्टर–2) एवं एक्सटी01(सैक्टर–3) के आवंटियों द्वारा पैनल्टी के साथ लीजडीड निष्पादित करायी जा चुकी है उन आवंटियों को जमा धनराशि लौटायी नहीं जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगे।

(आर0के0देव)
महाप्रबन्धक , सम्पत्ति

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक (वित / सम्पत्ति / बिल्डर्स / आई.टी अनुभाग) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रबन्धक (सी.आर.सैल) को सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

6/x/17

महाप्रबन्धक , सम्पत्ति

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट न01, सैक्टर के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0
Website:www.greaternoidaauthority.in, Email id: authority@gnida.in

पत्रांक :सम्प / 2017 / 42 दिनांक 6-10-17

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 109वी बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2017 की मद संख्या 109 / 13 में निविदा पर आधारित आवासीय भूखण्डों की योजना एल0ओ0पी– 02 योजना के आवटियों को भूखण्ड का मूल्य 15 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज सहित जमा कराये जाने एवं लीज डीड कराने हेतु अन्तिम रूप से 31 दिसम्बर 2017 तक का समय विस्तरण प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये अनुमोदन, पत्रांक उ0मु0का0अ0 / 109वी बो0बै0 / 2017 / 25 दिनांक 03.10.2017 के क्रम में एल0ओ0पी– 02 योजना के आवटियों को भूखण्ड का मूल्य 15 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज सहित जमा कराये जाने एवं लीज डीड कराने हेतु अन्तिम रूप से 31 दिसम्बर 2017 तक का समय विस्तरण प्रदान किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगे।

(आर0के0देव)
महाप्रबन्धक , सम्पत्ति

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक (वित / सम्पत्ति / बिल्डर्स / आई.टी अनुभाग) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रबन्धक (सी.आर. सैल) को सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

6/x/17
महाप्रबन्धक , सम्पत्ति